Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

1.लिछमादेवी पत्नि नारायणराम वगै. जाति जाट निवारी रिडी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम नारायणराम वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 915/2025 . **U/S 212 RTA & 151 CPC**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.12.2025	आज यह प्रार्थना पत्र लिछमादेवी वगै. ने जरिये श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 154 तादादी 3.4300 हैक्टेयर वाकेरोही रीडी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 11.02.2026 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.02.2026 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
12.1.2026	पत्रावली प्रार्थीगण/वादीगण ने जरिये अधिवक्ता मूलवाद विड्रो किये जाने पर पेशी में लीगई। मूलवाद विड्रो किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति वाजिब रवाना [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (शुभम शर्मा) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested